

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

रामकुमार बलाई

बनाम

तहसीलदार

राम मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी (एलआर एक्ट अर्न्त. धारा 128) मु0नं0 425 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/803

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

225

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री रामचन्द्र वर्मा उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 21.08.2025 को पेश हो।

रामकुमार सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में बस्थ है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/10/25
को पेश हो।

3/10/25

पत्रावली पेश हुई। जमिन्मालक सघ
आज अदालती कार्य को स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 10/12/25 को पेश हो।

10/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2025 को करवा लिया है। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 16.06.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 16.06.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। उक्त सीमाज्ञान में प्रार्थी

की वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर दीगर व्यक्ति का कब्जा होना बताया है। अतः प्रार्थी को दीगर व्यक्ति से कब्जेशुदा भूमि को मुक्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में बेदखली का वादपत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करने की हिदायत देते हुए प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना